

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10092026-276098
SG-DL-E-10092026-276098असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]	दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2026/भाद्र 10, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 194
No. 256]	DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2026/BHADRA 10, 1948	[N. C. T. D. No. 194

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (डीओपी) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

फा. सं. 11/58/गृह-डीओपी/2026/826-840.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री अखंड प्रताप सिंह, अधिवक्ता को दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 19.06.2026 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर बीएनएस की धारा 152/61(2), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 तथा सशस्त्र अधिनियम की धारा 25, पुलिस थाना विशेष प्रकोष्ठ, नई दिल्ली के अंतर्गत केस एफआईआर संख्या 126/2026 के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
1.	उपस्थिति शुल्क (प्रति प्रभावी सुनवाई)	रुपये 50,000 /—
2.	उपस्थिति शुल्क (गैर-प्रभावी सुनवाई)	रुपये 25,000 /—

3.	एसोसिएट/जूनियर के लिए उपस्थिति शुल्क (समृद्धि डोभाल नामांकन संख्या 6472/2020)	रुपये 10,000/-
4.	सम्मेलन/परामर्श शुल्क (प्रति सम्मेलन)	रुपये 20,000/-
5.	याचिका, आपराधिक पुनरीक्षण, अपील आदि का प्रारूपण	रुपये 1,00,000/-
6.	प्रति आवेदन प्रारूपण शुल्क	रुपये 25,000/-
7.	आवेदन के उत्तर आदि का प्रारूपण	रुपये 25,000/-
8.	लिपिकीय	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, 31st August, 2026

F. No. 11/58/H-DOP/2026/826-840.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Akhand Pratap Singh, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court in the matter of case FIR No. 126/2026, U/s 152/61 (2) BNS, Section 4/5 of the Explosive Substance Act and Section 25 Arms Act, PS Special Cell, New Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 19.06.2026:-

S. No.	Detail of work	Proposed Fee
1	Appearance fee (per effective hearing)	Rs. 50,000/-
2	Appearance fee (non-effective hearing)	Rs. 25,000/-
3	Appearance fee for associate/junior (Samridhi Dobhal Enrol. No. 6472/2020.	Rs. 10,000/-
4	Conference/consultation fee (per conference)	Rs. 20,000/-
5	Drafting Petition, Criminal Revision, Appeal, etc.	Rs. 1,00,000/-
6	Drafting fee per application	Rs. 25,000/-
7	Drafting reply to application, etc	Rs. 25,000/-
8	Clerkage	10% of the total bill amount

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-DOP)